[21/12/2021]

Market Loan 2021-22 प्रश्न सं. [क्र. 874] VS Q.No. 874 Annexure -1				
Sr. No.	Date / Month	Particulars of Loan	Interest Rate	01/04/2021 to 25/11/2021
A		Market Loan		AMOUNT (Rs in Crore)
1	14-07-2021	Madhya Pradesh State Development Loan 2031	7.00%	2000.00
2	01-09-2021	Madhya Pradesh State Development Loan 2026	5.99%	2000.00
3	15-09-2021	Madhya Pradesh State Development Loan 2031	6.85%	2000.00
4	22-09-2021	Madhya Pradesh State Development Loan 2031	6.85%	2000.00
5	27-10-2021	Madhya Pradesh State Development Loan 2031	6.85%	2000.00
6	02-11-2021	Madhya Pradesh State Development Loan 2031	6.85%	2000.00
7	17-11-2021	Madhya Pradesh State Development Loan 2041	6.99%	2000.00
				14000.00

Annexure- II-A

अ.शा. पत्र क्र. 562 /सीएमओ/2021
भोपाल, दिनांक 24/05/2021

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
सादर नमस्कार,

कोविड महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। केन्द्र सरकार द्वारा इस हेतु मध्यप्रदेश को कतिपय शर्तों के अध्यधीन अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी गई, ताकि राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण राज्य घरेलू उत्पाद के 5.5% तक किया जा सके। इसमें भारत सरकार से प्राप्त विशेष योजना अंतर्गत रुपये 1320.00 करोड एवं जीएसटी की क्षतिपूर्ति अनुदान के विरुद्ध रुपये 4542.00 करोड़ अतिरिक्त ऋण की राशि सम्मिलित है। आप अवगत होना चाहेंगे कि प्रदेश ने प्राप्त ऋण राशि का उपयोग प्रदेश की अधोसंरचना एवं सामाजिक सरोकारों के लिये किया है। वित्तीय संकट के समय में केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की सहायता के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी निरन्तर रहने के परिणाम स्वरूप राज्य के राजस्व में सारभूत कमी होने का आंकलन है। हम राजस्व व्यय को युक्तियुक्त कर नियंत्रित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके उपरांत भी प्रदेश में चल रहे कोविड नियंत्रण के उपाय, अधोसंरचना एवं सामाजिक सरोकारों के कार्यों के लिये प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता रहेगी। केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये प्रदेश को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत बिना शर्त एवं अतिरिक्त 1 प्रतिशत कतिपय शर्तों के आधार पर अर्थात कुल 4.5 प्रतिशत ऋण लेने की पात्रता दी गई है।

उपरोक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कठिन वितीय परिदृष्य के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये भी गत वित्तीय वर्ष अनुसार प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.50 प्रतिशत ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कृपया संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सादर,

(शिवराज सिंह चौहान)

श्री नरेन्द्र मोदी जी,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

Annexure -II- B 9

निर्मला सीतारामन
वित्त एवं कार्पोरेट कार्य मंत्री
भारत सरकार

Nirmala Sitharaman
Minister of Finance and Corporate Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

अ.शा. पत्र सं. 40(13)/पीएफ-एस/2021-22
दिनांक: 14 जुलाई, 2021

प्रिय श्री शिवराज सिंह चौहान जी,

कृपया वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 5.50 प्रतिशत की ऋण सीमा की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित अपने दिनांक 24 मई, 2021 के अ.शा. पत्र का संदर्भ लें। मैंने मामले की जांच करा ली है।

हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि वर्ष 2021-22 के लिए, मध्य प्रदेश राज्य सहित राज्यों की सामान्य निवल ऋण सीमा जीएसडीपी के 4 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है। इससे राज्यों को मौजूदा वित्तीय संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा, राज्य विद्युत क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर जीएसडीपी के 0.50% तक का अतिरिक्त ऋण लेने के लिए भी पात्र हैं। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 के लिए, राज्य जीएसडीपी के 4.5% तक का ऋण लेने के लिए पात्र है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने एक विशेष ऋण विंडो के माध्यम से वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को बैक टू बैक ऋण के रूप में 4,542 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी विशेष ऋण विंडो को जारी रखने का निर्णय लिया गया है और वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को 7,011 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, हम आपको यह भी सूचित करना चाहेंगे कि वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना के तहत राज्य को 1,320 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भी बढ़ा दिया गया है और मध्य प्रदेश राज्य को 649 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, योजना के भाग-III के तहत, मध्य प्रदेश राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के निजीकरण/ विनिवेश और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण/ पुनर्चक्रण के लिए अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए भी पात्र होगा।

सादर,

भवदीया,

(निर्मला सीतारामन)

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश
भोपाल।

Office : 134, North Block, New Delhi-110001 Tel. : 23092810, 23092510 Fax : 23092828
Residence : 15, Safdarjung Road, New Delhi ...